यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य, जी॰बी॰पंत इंजीनीयरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी पौड़ी,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रधानाचार्य, जी॰बी॰पंत इंजीनीयरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी पौड़ी,** के माह 05/2014 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह वरि॰ लेखापरीक्षक, श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री डी॰के॰ मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16/05/2018 से 23/05/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस॰के॰ जौहरी एवं श्री एस॰के॰ सिन्हा सहा॰ लेखापरीक्षा अधिकारी,द्वारा दिनांक 28-05-2014 से 07-06-2014 तक श्री बजरंग सिंह चंदेल लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 04/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2014 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान मे शैक्षणिक, तकनीकी गुणवत्ता सुधार शिक्षा कार्यकर्मों का संचालन किया जाता है। यह एक अभियंत्रण महाविधालय है, जिसमे वर्तमान मे 08 विभिन्न ब्रांचो मे स्नातक स्तर पर एवं 04 स्नातकोत्तर ब्रांचो मे पठन-पाठन का कार्य किया जा रहा है,यह संस्थान पौड़ी शहर से 10 कि॰मी॰ कि दूरी पर एवं श्रीनगर से 40 कि॰मी॰ कि दूरी पर तथा ऋषिकेश से 105 कि॰मी॰ कि दूरी पर स्थित है। जिसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

क्र॰सं॰	**वित्तीय वर्ष**	**स्थापना**			**गैर स्थापना**			**आधि॰ (+)**	**बचत**
		प्रा॰शे॰	आवंटन	व्यय	प्रा॰शे॰	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	145.76	1121.86	1263.95	387.85	890.00	861.52		420.00
2	2016-17	3.67	1165.00	1140.92	416.33	485.18	578.02		351.24
3	2017-18	27.75	1075.00	1102.75	323.49	1140.15	1027.86		435.78
4	2018-19 (04/2018 तक)	0	1500.00	278.36	435.78	0	27.88		1629.54

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (TEQIP II) के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष		**प्राप्त धनराशि**			
	प्रा॰ शेष	**आवंटन**	**योग**	**व्यय**	**बचत**
2015-16	11789405.50	21222689	33008094.50	3049446.00	2513629.5
2016-17	2513629.50	41484678	43998307.50	31474960.00	12523347.50
2017-18	12523347.50	56371295	68894642.50	22760000	46134642.50

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत ,राज्य सरकार / भारत सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी "ब" है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

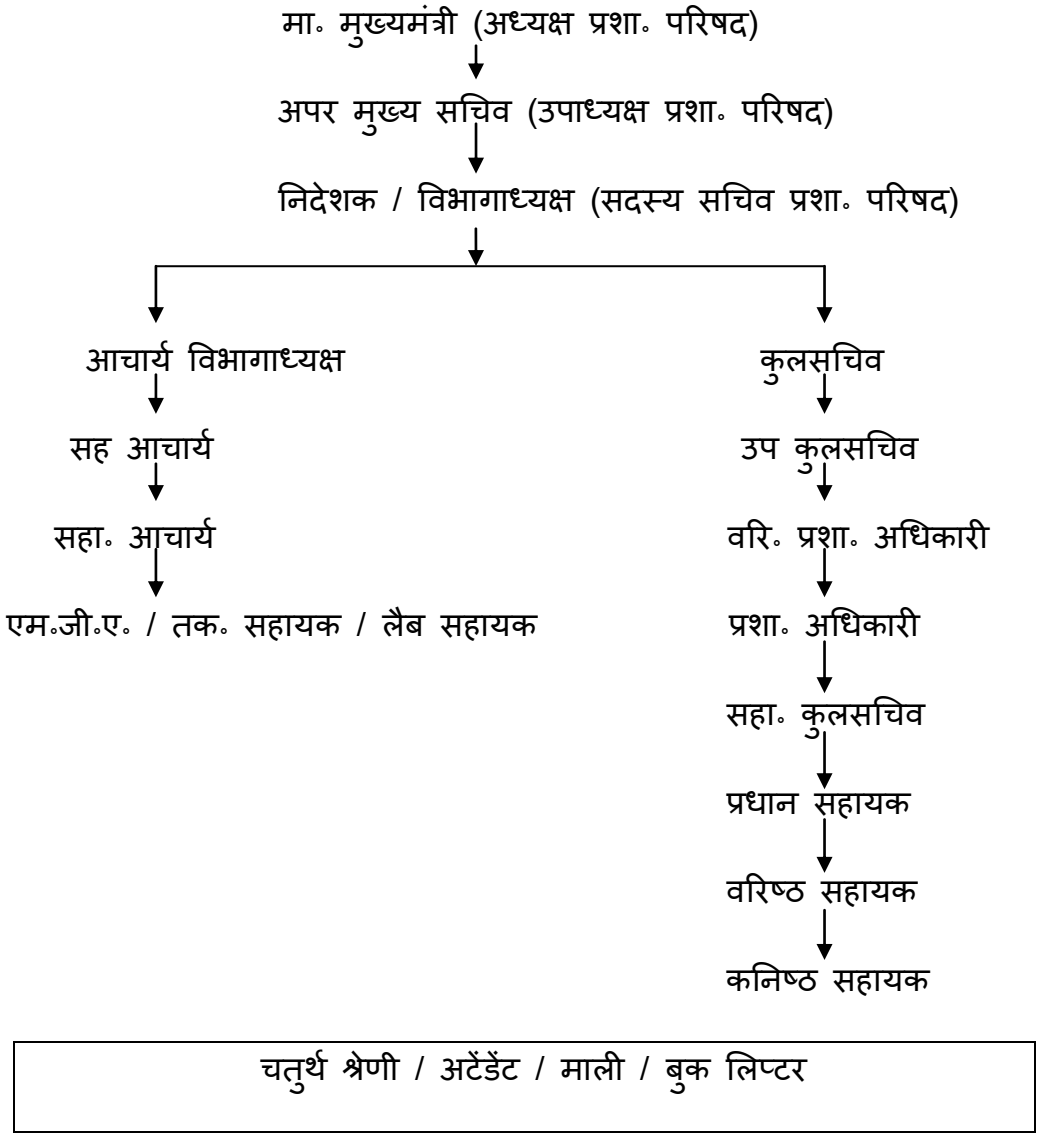

चतुर्थ श्रेणी / अटेंडेंट / माली / बुक लिप्टर

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्रधानाचार्य, जी.बी.पंत इंजीनीयरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी पौड़ी,** की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य, जी.बी.पंत इंजीनीयरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी पौड़ी,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर 1:- स्वीकृत पदो के सापेक्ष 32 अधिक कर्मचारियो की तैनाती।

जी॰बी॰ पंत इंस्टी॰ ऑफ इंजीनीयरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, घुडदौड़ी (पौड़ी) के लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया कि कॉलेज मे आउटसोर्सिंग के कुल 36 पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 68 कर्मचारियो की तैनाती की गई है। जिसका विवरण निम्न है

क्र॰ स॰	पदनाम	सृजित पद	भरे पद	शासनादेश सं॰	
1	सीनियर इंस्ट्रक्टर / सीनियर लैब टेक्निकल / सीनियर लैब असि॰	07	08	1042 / XLI-1 / 2010.45 / प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग दिनांक 08 अप्रैल 2011	योग-36
2	एम॰जी॰ए॰/ जे॰एल॰टी॰ / तकनीकी सहा॰ सेंट्रल कम्प्युटर सेंटर / सेंटर वर्कशॉप एवं एकेडमिक विभाग	07 15			
3	लैब असि॰ / मेकेनिक ग्रेड सी	07			
4	अटेंडेंट / लैब अटेंडेंट	15	23		
5	कम्प्युटर टाइपिस्ट	0	16		
6	इलैक्ट्रिशियन	0	01		
7	पलम्बर	0	02		
8	वेल्डर	0	01		
9	हॉर्टिकल्चर अस्सीस्टेंट	0	01		
10	कारपेंटर	0	01		
	कुल योग	36	68		

इस प्रकार कॉलेज के 36 पदो के सापेक्ष 68 कर्मचारियो की तैनाती की गई है। संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया की 40 से अधिक पद शिक्षणेतर वर्ग मे रिक्त है, कार्य मे व्यवधान न हो तब तक काम चलाऊ व्यवस्था के तहत कार्य किया जा रहा है, एजेंसी के माध्यम से सेवा योजित है। प्रयोगशालाओ / लैबों के अनुपात मे अटेंडेंट की कमी के कारण प्रयोगशालाओं के संचालन मे व्यवधान उत्पन्न न हो इस कारण तैनाती बाह्य एजेंसी से की गयी है।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नही है क्योंकि दिनांक 08 अप्रैल 2011 को जारी शासनादेश के अनुसार 36 पदो का सृजन किया गया था परंतु विभाग द्वारा शासनादेश की अनदेखी करते हुये जिन पदो की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी उसके सापेक्ष भी कर्मचारियो की नियुक्ति की गयी है।

अत: 36 पदो के स्थान पर 68 कर्मचारियो की तैनाती का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो ब

प्रस्तर 2 :- शासन से प्राप्त धनराशि ₹ 1.01 करोड़ का उपयोग न कर पी एल ए खाते में अनुपयुक्त पड़े रहना।

हस्तपुस्तिका मे निहित प्रविधानों के अनुसार एवं भुगतान एवं प्राप्ति नियमावली-1983 के नियम -189 के अनुसार कोई भी धनराशि विगत तीन वर्षों से अनुपयोगी रहने की स्थिति मे स्वतः व्यपगत हो जाती है, आहरण वितरण अधिकारियों का दायित्व होता है कि सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए वह अनुपयोगी धनराशि को राजस्व प्राप्ति के रूप मे समायोजित कराना सुनिश्चित करें। कार्य पूर्ण होने पर अवशेष राशि यदि कोई हो, तो शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रधानाचार्य जी0 बी0 पंत इंजीन्यरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी (पौड़ी) के अवधि 05/2014 से 04/2018 तक लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि विभाग के अंतर्गत पी एल ए खाते मे कुल ₹ 1.01 करोड़ की धनराशि अनुपयोगी/अप्रयुक्त पड़ी हुए थी। जिसका मद वार विवरण निम्नवत हैं।

क्र0 सं0	वर्ष	मद का नाम	अवशेष धनराशि (03/2018) तक
01	2014-15 से 2017-18	स्टेज लाइटिग एंड साउंड सिस्टम।	50000.00
02	2014-15 से 2017-18	20 नग टीचरस हॉस्टल(पुराना)	4000.00
03	2014-15 से 2017-18	टीचरस हॉस्टल(पुराना)	42000.00
04	2014-15 से 2017-18	अनुसूचित जाति छात्रो का छात्रावास	30000.00
05	2014-15 से 2017-18	160 सीटर छात्रावास का निर्माण	617000.00
06	2014-15 से 2017-18	पुस्तकाल्य भवन का निर्माण	5,96000.00
07	2014-15 से 2017-18	अंबस्डर कार	11000.00
08	2014-15 से 2017-18	साज-सज्जा उपकरण	283320.00
09	2014-15 से 2017-18	नवीन छात्रावास मे रूम फ़र्निचर एवं फिनिशिंग सामाग्री का क्रय	44940.00
10	2014-15 से 2017-18	Accredation क्लाससेस मे विभन्न विभागो की प्रयोगशाला कारालाय एवं नवीन छात्रावास मे फ़र्निचर	18262.00
11	2014-15 से 2017-18	ई0आर0पी0 सॉफ्टवेयर स्थापित किए जाने हेतु 75kva जेनरेटर एवं जिम हेतु उपकरण	4300000.00
12	2014-15 से 2017-18	पेरसोनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्ल डिवैलप मेंट	1703583.00

13	2014-15 से 2017-18	अनुसूचित जाति महिला छात्रावास की फिनिशिंग	319346.00
14	2014-15 से 2017-18	अनुसूचित जाति छात्रावास मे कम्प्युटर लैब की स्थापना	241274.00
15	2014-15 से 2017-18	ब्रिज कोर्स	350,000,00
16	2014-15 से 2017-18	सेंट्रल लाइवरेरी मे बूक बैंक की स्थापना	98719.00
17	2014-15 से 2017-18	टी0एस0पी0 योजना (31) के अनतेरगत पेरसोनालिटी एंड कम्युनिकेशन	100,000.00
18	2014-15 से 2017-18	अनुसूचित जनजाति छात्रो के लिए	1122738.00
19	2014-15 से 2017-18	एससी वर्ग के प्रथम वर्ष मे अध्यानरत छात्रो के लिए ब्रिज कोर्स	100,000.00
20	2014-15 से 2017-18	सेंट्रल लाइवरेरी मे बूक बैंक की स्थापना	97,565.00
योग			10129747.00

₹ 1.01 करोड़ शासन से प्राप्त धनराशि इकाई द्वारा चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी शासन को वापस नहीं किया गया। जो स्पष्ट करता है कि विभाग द्वारा शासकीय बजट को समर्पित किए जाने से बचने के लिए उक्त धनराशियों को पी एल ए खाते में रखा गया। जिसे न तो संबन्धित कार्य संपादित कराये गये और न ही धनराशि शासन को वापस की गयी थी। जिससे स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के कारण शासन से प्राप्त धनराशि ₹ 1.01 करोड़ पी एल ए खाते में अनुपयुक्त पड़ी हुई थी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि धनराशि को इसी वित्तीय वर्ष मे व्यय कर लिया जाएगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग ने अप्रैल 2014 से मार्च 2018 तक की अवधि में धनराशि पी एल ए खाते मे रखी गयी, लेकिन 4 वर्ष का समय बीत जाने के पश्चात भी उक्त धनराशि को व्यय किए जाने हेतु विभाग द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया जिससे स्पष्ट था कि विभागीय उदासीनता के कारण शासन से प्राप्त धनराशि ₹ 1.01 करोड़ पी एल ए खाते में अनुपयुक्त पड़ी हुई थी।

₹ 1.01 करोड़ का उपयोग न कर पी एल ए खाते में अनुपयुक्त पड़े होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 3:- धनराशि ₹ 13.91 लाख का अनियमित व्यय।

वित्तीय नियम एवं उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम - 40 के अनुसार धनराशि ₹ 15.00 लाख के मूल निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य के लिए निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिए।

इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी,पौड़ी के अभिलेखो की जांच मे पाया कि विभाग द्वारा त्रिशूल महिला छात्रावास कि चाहर दीवारी के निर्माण हेतु पूर्व से कार्यरत निर्माण एजेंसी उत्तरप्रदेश राज्य निर्माण निगम से 2017-18 के दौरान लघु निर्माण कार्य बिना निविदा / टेंडर की प्रक्रिया अपनाये निर्माण कार्य कराया गया। निर्माण कार्य DSR मे दी गई दरो मे 7% छूट पर कराया गया था,जिसके लिये कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार से न कोई MOU और न कोई अनुबंध किया गया था।कार्यदायी संस्था द्वारा निविदा प्रक्रिया अपनाई न जाने के कारण प्रतिस्पर्धात्मक दरो का आंकलन नहीं हो सका एवं उ॰प्र॰रा॰नि॰नि॰ से मनचाही दरो पर उक्त निर्माण कार्य कराया जाना नियमो के विरुद्ध है।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि समयाभाव के कारण टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तथा कार्य की प्रकृति को देखते हुए अनुबंध नहीं कराया जा सका, जिसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यदायी संस्था द्वारा निविदा / टेंडर प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण प्रतिस्पर्धात्मक दरो का आंकलन नहीं हो सका तथा नियमो के विरुद्ध सौपे गए कार्य के कारण विभागीय हानि होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- कम्प्यूटर मद मे ₹ 26.44 लाख का आनियमित व्यय।

शासनादेश संख्या-258/XXII(7) दिनाक-22/08/2008 द्वारा स्पष्ट प्रविधान किया गया हैं कि वाहन, फ़ोटोकॉपियर एवं उसकी एसेसरीज, फैक्स मशीन, कम्प्यूटर, जनरेटर आदि आवश्यक सामाग्री जो डी0जी0एस0 एंड डी0 दरो पर उपलब्ध हैं को दर अनुबंध कि अवधि मे सूचीगत फ़र्म से सीधे क्रय करने हेतु प्राधिकृत किया गया हैं, उक्त शासनादेश द्वारा डी0जी0एस0 एंड डी0 दरो से उक्त सामग्री के सीधे क्रय की अनुमति केवल छोटी-मोटी आवश्यकताओ के लिए दी गयी है। शासनादेश द्वारा स्पष्ट किया गया हैं कि जिन विभागो/संस्थाओ को ₹ 25.00 लाख से अधिक सामग्री की आवश्यकता हो उनके लिए डी0जी0एस0 एंड डी0 दरे होते हुऐ भी सामग्री क्रय उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के नियम-10(2) एवं 72(4) के समस्त प्रविधानों के अनुसार विज्ञापन प्रणाली सुनिशचित किया जाए। आगे संप्रेक्षा द्वारा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा बिल न0-एसएम/2015-16/02353/ दिनाक -14/12/15 द्वारा डी0जी0एस0 एंड डी0 दरो पर 49 डेस्कटॉप कम्प्युटर HP ब्रांड के ₹ 26,44,581.00 की धनराशि के क्रय किए, जबकि शासनादेश मे स्पष्ट हैं कि छोटी-मोटी क्रय के लिए ही डी0जी0एस0 एंड डी0 दरे अनुमन्य हैं, इस प्रकार विभाग द्वारा शासनादेश का उलंघन किया गया हैं। संप्रेक्षा द्वारा जांच मे यह भी पाया कि इकाई द्वारा न तो बाज़ार सर्वे कराया गया जिससे कम्पूयटर की गुणवत्ता एवं मात्रा की प्रमाणिकरण (verification) विभाग को प्राप्त होती यदि बाज़ार सर्वे कराया होता तो बाज़ार मे मौजूद कई अच्छी ब्रांडेड कंपनी-example-DEL, HCL, LENOVA आदि के उच्च गुणवत्ता वाले व High specification/configuration के कम दर पर कम्प्यूटर उपलब्ध होते। उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की एवं संप्रेक्षा को अपने उत्तर मे अवगत कराया कि कम्प्युटर समयाभाव एवं प्रयोगशाला कि आवश्यकताओ को देखते हुऐ क्रय किए गए थे। विभाग का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग द्वारा शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है अतः ₹ 26.44 लाख अनियंत्रित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**	**अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी**
2009-10/33	01,02,03	02,03,04,05	-
2012-13/23	01,	01,02,03	01
2014-15/30	-	01,02,03,04,05	-
योग	**04**	**12**	**01**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	**प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
विवरण पत्रावली मे सलग्न है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रधानाचार्य, जी.बी.पंत इंजीनीयरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी पौड़ी,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम / पदनाम	दिनांक
1.	डॉ अनुराग कुमार - प्राचार्य	05-05-2011 से 04-01-2016 तक
2.	डॉ वाई॰ सिंह - प्राचार्य	05-01-2016 से 16-05-2016 तक
3.	डॉ चन्द्र शेखर भट्ट - प्राचार्य	17-05-2016 से 14-07-2016 तक
4.	डॉ वाई॰ सिंह - प्राचार्य	15-07-2016 से 25-07-2016 तक
5.	डॉ सत्य प्रकाश पांडे - प्राचार्य	26-08-2016 से 03-02-2018 तक
6.	डॉ आशीष नेगी	04-02-2018 से 25-02-2018 तक
7.	डॉ एम॰पी॰एस॰ चौहान-निदेशक	26-02-2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रधानाचार्य, जी.बी.पंत इंजीनीयरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी पौड़ी,** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.